राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

कमांक प.19 (11) सा.प्र./ग्रुप–4/09 जयपुर दिनांक 30/4/15

समस्त जिला कलेक्टर्स,
राजस्थान (जयपुर को छोड़कर)

विषयः– राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन के कार्य करवाने हेतु बजट आवंटन के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न जिलों में स्थित (जयपुर शहर के अलावा) राजकीय आवासों के लिये परिवर्तन/परिवर्द्धन संबंधी अति–आवश्यक कार्यो हेतु बजट मद 2216–आवास (हाउसिंग) 05–साधारण पूल आवास, 800–अन्य व्यय (01) निर्माण, 16–लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपलब्ध प्रावधान में से निम्नानुसार राशि आवंटित की जाती है:–

(राशि लाखों में)

क. सं.	जिले का नाम	**बजट मद 2216–05–800–(01)**[06] प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवासों के लिये, 16–लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न)	**बजट मद 2216–05–800–(01)** [07] तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आवास तथा अन्य आवासों के लिये, 16–लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न)	**बजट मद 2216–05–800–(01)** [05] पंचम एवं छठवी श्रेणी के आवास तथा अन्य आवासों के लिये, 16–लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न)
1	अजमेर	2.50	2.00	2.00
2	अलवर	1.50	2.00	2.00
3	बांसवाड़ा	1.00	2.00	2.00
4	बाड़मेर	1.00	1.50	1.50
5	बांरा	1.00	1.50	1.50
6	भरतपुर	2.00	2.00	2.00
7	भीलवाड़ा	1.00	2.00	2.00
8	बीकानेर	2.00	2.50	2.50
9	बूंदी	1.00	2.00	2.00
10	चित्तौड़गढ़	1.00	2.00	2.00
11	चूरू	2.00	2.00	2.00
12	डूंगरपुर	1.00	2.00	2.00
13	दौसा	1.00	2.00	2.00
14	धौलपुर	1.00	2.00	2.00
15	श्री गंगानगर	1.00	2.50	2.50
16	हनुमानगढ़	1.00	2.00	2.00
17	जैसलमेर	1.00	2.00	2.00
18	जालौर	2.00	1.00	1.00
19	झालावाड़	1.00	2.00	2.00
20	झुंझुनु	1.00	1.00	1.00
21	जोधपुर	2.00	2.00	2.00
22	कोटा	3.00	2.00	2.00
23	नागौर	2.00	2.50	2.50
24	पाली	1.00	2.00	2.00
25	सवाईमाधोपुर	1.00	1.00	1.00
26	सिरोही	1.00	2.00	2.00
27	सीकर	2.00	2.50	2.50
28	टोंक	1.00	2.00	2.00
29	उदयपुर	3.00	2.00	2.00
30	राजसमन्द	1.00	1.00	1.00
31	करौली	1.00	2.00	2.00
32	प्रतापगढ	1.00	1.00	1.00
	कुल योग	45.00	60.00	60.00

उक्त बजट मद से व्यय की स्वीकृति जारी करने में निम्नांकित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:–

1. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2010 द्वारा राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र कमांक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत करवाने के निर्देश दिये गये है। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जावे ।

2. प्रथम से छठवीं श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु वित्त विभाग द्वारा 8 कार्यों को चिन्हित किया गया है। अतः निम्नांकित 8 कार्यों में से ही कार्य स्वीकृत किया जावे:–

पृष्ठ....2

क.सं.	कार्य का विवरण
1.	फर्श का रिप्लेसमेंट।
2.	टायलेट नवीनीकरण।
3.	स्टोर/किचन में परिवर्तन/परिवर्द्धन।
4.	कप बोर्डस।
5.	दरवाजों, खिड़कियों एवं गेट्स का रिप्लेसमेंट।
6.	ग्राउण्ड वाटर टैंक का निर्माण।
7.	चार दिवारी ऊँची करना एवं नई बाउण्डरी वाल निर्माण।
8.	टिनशेड/कारशेड/शेड।

3. इस बजट प्रावधान का उपयोग केवल सामान्य प्रशासनिक आवासीय पूल के आवासों हेतु किया जावेगा।
4. **उक्त 8 कार्यों के लिये प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के आवासों हेतु 10 प्रतिशत सहभागिता राशि राजकोष में जमा करवाने का प्रावधान किया गया है। तृतीय से छठवी श्रेणी के राजकीय आवासों में इन कार्यों के लिए आवासी से सहभागिता राशि लिये जाने का प्रावधान नही है। अतः बिना सहभागिता राशि के चिन्हित 8 कार्यों के आधार पर स्वीकृति जारी की जावेगी।**
5. राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन के कार्य करवाये जाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से पूर्वानुमान बनवाकर मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर के नाम आवास संख्या व कार्य का विवरण अंकित करते हुये स्वीकृति जारी की जावें, जिसकी प्रति संभागीय आयुक्तगण/ अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित करते हुये इस विभाग को भी भिजवावें।
6. सभी कार्यों में इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.19(1) सा.प्र./ग्रुप-4/92 दिनांक 7.06.2011 की पालना सुनिश्चित की जावे।
7. उक्त राशि के पेटे कार्य पूर्ण होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग से कम्पलीशन प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें तथा प्रतिमाह कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति से भी अवगत करावें।

भवदीय

(महेन्द्र कुमार खींची)
उप शासन सचिव (क)

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. संभागीय आयुक्तगण, समस्त संभाग।
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजकर लेख है कि समस्त अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित करने का श्रम करें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमाक (184) SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देश के अन्तर्गत राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कार्य करवाने का श्रम करें तथा उक्त निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

(महेन्द्र कुमार खींची)
उप शासन सचिव (क)